

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमांक: एफ. 14(जयपुर रोडस)2017/एफसीए/प्रगुवरां/ 3872

दिनांक 18/11/2022

शासन सचिव,
वन विभाग,
राजस्थान, जयपुर

विषय:-Diversion of 0.99 ha. Forest land in favour of Public Work
Department, Dausa for Construction of Missing Link Road from
Udaipura Road to Toda Bheem.
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/26222/2017).

संदर्भ:-आपका पत्रांक प. 1(90)वन/2021 दिनांक 28.11.2021

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में चाही गई सूचना मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर/जयपुर से प्राप्त कर इस कार्यालय की सहमति के साथ अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

क्र.सं.	अधिरोपित शर्त	अनुपालना
1	उक्त प्रस्ताव में उप वन संरक्षक, करौली एवं मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर की अभिशंषा/टिप्पणी संलग्न नहीं की गयी है। पूर्ण प्रस्ताव भिजवावें।	उक्त प्रस्ताव में उप वन संरक्षक, करौली द्वारा अभिशंषा संलग्न कर दी गयी है। मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर की अभिशंषा/टिप्पणी दिनांक 11.07.2018 को की जाकर ऑनलाइन व ऑफलाइन संलग्न कर दी गयी है।
2	उक्त प्रस्ताव के संबंध में वैकल्पिक मार्ग की अण्डरटेकिंग नहीं है।	प्रस्ताव के संबंध में वैकल्पिक मार्ग की अण्डरटेकिंग यूजर एजेन्सी द्वारा संलग्न कर दिये गये है। पार्ट-1 के बिन्दु संख्या D में ऑनलाइन अपलोड भी कर दिया गया है।
3	जिला कलक्टर, दौसा द्वारा जारी एफआरए सर्टिफिकेट की मूल प्रति एवं जिला कलक्टर, करौली द्वारा जारी किये जाने वाले एफआरए सर्टिफिकेट के संबंध में टिप्पणी/अण्डरटेकिंग भिजवाने का श्रम करावें।	जिला कलक्टर, करौली/दौसा द्वारा जारी एफआरए सर्टिफिकेट संलग्न कर दिया गया है। पार्ट-1 के बिन्दु संख्या K में ऑनलाइन अपलोड भी कर दिया गया है।
4	Statement show detail of Non-Forest के संबंध में प्रस्तुत रिपोर्ट को दुरुस्त कर भिजवाने का श्रम करावें।	Statement show detail of Non-Forest के संबंध में प्रस्तुत रिपोर्ट को दुरुस्त कर यूजर एजेन्सी द्वारा पार्ट-1 के बिन्दु संख्या B में ऑनलाइन अपलोड कर दिये गये है।
5	प्रस्ताव में के.एम.एल. फाईल की सी.डी.	प्रस्ताव में के.एम.एल. फाईल की सी.डी.

	संलग्न नहीं है।	उप वन संरक्षक, करौली एवं दौसा द्वारा संलग्न है। पार्ट-I के बिन्दु संख्या C में ऑनलाइन अपलोड भी कर दिया गया है।
6	प्रस्ताव में निरीक्षण रिपोर्ट लगभग 3 वर्ष पुरानी है। कृपया नवीन निरीक्षण रिपोर्ट का श्रम करावें।	प्रस्ताव में उप वन संरक्षक, करौली एवं दौसा द्वारा निरीक्षण किया जाकर नवीन निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न कर दी गयी है।
7	NO Voilation Certificate की प्रति संलग्न कर भिजवाने का श्रम करावें।	NO Voilation Certificate की प्रति उप वन संरक्षक, करौली एवं दौसा द्वारा संलग्न कर दी गई है।
8	तकनीकी रिपोर्ट को उप वन संरक्षक, करौली द्वारा अधिप्रमाणित नहीं किया गया है।	तकनीकी रिपोर्ट को उप वन संरक्षक, करौली द्वारा अधिप्रमाणित कर दिया गया है।

भवदीया,

Shikha
(शिखा मेहरा)

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ. 14(जयपुर रोड्स)2017/एफसीए/प्रमुवसं/

दिनांक

प्रतिलिपि:—मुख्य वन संरक्षक, जयपुर/भरतपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

→
(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर